

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 3.

शिक्षा अनुभाग (6)

लखनऊ दिनांक : 29 मार्च, 2006

विषय: प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के सतत निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पार्श्वाकित शासनादेश/अर्द्ध शा० पत्र का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इन शासनादेशों के द्वारा विद्यालयों में पका-पकाया भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित

- | | |
|---|---|
| 1 | सं०-1429 / 79-6-04-01(6) / 2000टी०सी० ०-३ दिनांक 25 जून, 2004 |
| 2 | शा०सं०-1613 / 79-6-04-1(6) / 2000टी० सी० दिनांक 23 जुलाई, 2004 |
| 3 | शा०सं०-1981 / 79-6-04-1(6) / 2000टी० सी० दिनांक 08 सितम्बर, 2004 |
| 4 | अर्द्ध शा०प०सं०-03 / 2004-05 दिनांक 01. 12.2004 |
| 5 | शा०सं०-2906 / 79-6-05-1(6) / 2000 टी० सी०-२ दिनांक 2 जनवरी, 2006 |
| 6 | पत्र सं०-2907 / 79-6-04-1(6) / 2000 टी० सी०-२ दिनांक 14.1.2006 |

करने हेतु ग्राम स्तर से लेकर प्रदेश स्तर विभिन्न समितियों का गठन तथा भोजन निर्माण में स्वच्छता बनाये रखने हेतु विभिन्न निर्देश जारी किए गये हैं। यह भी व्यवस्था की गयी थी कि ग्राम पंचायत स्तर पर खाना बनाने हेतु एक समिति होगी जिसकी देखरेख में भोजन पकाने एवं वितरण का कार्य कराये जाने के साथ-साथ योजना के सफल संचालन हेतु रोस्टर प्रणाली के आधार पर नियमित रूप से निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये थे।

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा विभिन्न जनपदों को प्रेषित टास्क फोर्स की जांच आख्याओं से यह स्पष्ट हुआ है कि उपरोक्त शासनादेशों का सम्यक पालन नहीं हो रहा है जिससे बच्चों के बीमार पड़ने आदि की घटनायें सम्भावित हो रही हैं। अतः उक्त सभी शासनादेशों तथा समय-समय पर विभाग/शासन द्वारा जारी निर्देशों का सम्यक पालन प्रत्येक स्तर से सुनिश्चित किया जाय।

इस योजना के प्रभावी अनुश्रवण हेतु निर्देश दिए जाते हैं कि प्रत्येक जनपद में जिला स्तर पर एवं विकास खण्ड स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन निम्नवत किया जाय:-

जिला स्तरीय टास्क फोर्स

| | |
|------------------------------------|------------|
| 1. जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. मुख्य विकास अधिकारी | सदस्य |
| 3. जिला विद्यालय निरीक्षण | सदस्य |
| 4. जिला कार्यक्रम अधिकारी | सदस्य |
| 5. जिला बेसिक शिखा अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| 6. जिला पूर्ति अधिकारी | सदस्य |
| 7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी | सदस्य |
| 8. समस्त उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी | सदस्य |
| 9. जिला विकास अधिकारी | सदस्य |
| 10. परियोजना निदेशक, डी०आ०डी०ए० | सदस्य |

| | |
|------------------------------|-------|
| 11. जिला समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य |
| 12. जिला पंचायत राज अधिकारी | सदस्य |

इस टास्क फोर्स के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम 05 विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। प्रत्येक माह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उक्त टास्क फोर्स की बैठक होगी एवं संलग्न चेक लिस्ट के बिन्दुओं पर प्राप्त आख्याओं का अध्ययन कर योजना के हित में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्कफोर्स गठित की जाएगी जिसके सदस्य निम्नवत होंगे :—

विकास खण्ड स्तरीय टास्क फोर्स

| | |
|--|--|
| 1. उप जिलाधिकारी | अध्यक्ष (अपने तहसील के सभी विकास खण्ड) |
| 2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक | सदस्य/सचिव |
| 3. खण्ड विकास अधिकारी | सदस्य |
| 4. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र | सदस्य |
| 5. सहायक विकास अधिकारी पंचायत | सदस्य |
| 6. नायब तहसीलदार | सदस्य |
| 7. उप जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य अधिकारी | सदस्य |
| 8. पूर्ति निरीक्षक | सदस्य |

इस टास्क फोर्स के प्रत्येक सदस्य प्रत्येक माह अपने विकास खण्ड के 05 विद्यालयों का निरीक्षण करेगा एवं इसकी बैठक प्रत्येक माह उप जिलाधिकारी के स्तर पर की जाएगी। उप जिलाधिकारी प्राप्त आख्याओं का अध्ययन कर योजना के हित में आवश्यक कार्यवाही करेंगे। जिला स्तर से की जाने वाली कार्यवाहियों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को प्रस्ताव प्रेषित करेंगे जिस पर निर्णय जिलाधिकारी स्तर से लिया जाएगा।

टास्क फार्स से सम्बन्धित चेक लिस्ट संलग्न है। कृपया उपरोक्त वर्णित शासनादेशों का सम्यक पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। जनपद हेतु निर्धारित निरीक्षण के लक्ष्यों को पूर्ण कराकर जिलाधिकारी उसकी समीक्षा करेंगे। जनपद में कृत कार्यवाही की आख्या प्रत्येक माह शिक्षा निदेशक बेसिक एवं शासन को अवश्य भेजी जाय।

मण्डलायुक्तों से यह अपेक्षा है कि उनके स्तर पर आयोजित होने वाली मासिक समीक्षा बैठकों में मध्यान्ह भोजन योजना को एजेण्डा बिन्दु में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाय तथा इस शासनादेश के अनुपालन को सुनिश्चित कराया जाय।

संलग्न : यथोपरि

भवदीय
ह०
(आर.रमणी)
मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि :—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, नगर विकास विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
- शिक्षा निदेशक, बेसिक/माध्यमिक।
- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।

ह०
(जे०एस०दीपक)
सचिव

टास्क फोर्स हेतु चेक लिस्ट

जांच के बिन्दु

जांच आव्याह

1. सामान्य बिन्दु

- (1) विद्यालय का नाम/विकास खण्ड का नाम/जिला
- (2) निरीक्षण तिथि/निरीक्षण का समय/अवधि
- (3) पंजीकृत छात्रों की संख्या
- (4) विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की संख्या
- (5) विद्यालय में अनुबन्धित शिक्षा मित्रों की संख्या
- (6) खाना पकाने वालों का नाम
- (7) खाना पकाने वालों को दिया जा रहा मानदेय की स्थित (कब तक दिया गया है/कितना दिया गया है)
- (8) विद्यालय में मीनू लगा है अथवा नहीं
- (9) विकास खण्ड स्तर पर नोडल अधिकारी का नाम पद व पता
- (10) विद्यालय से सम्बन्धित ग्राम प्रधान मध्यान्ह भोजन योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है अथवा नहीं

2. खाद्यान्न की जांच

- (1) खाद्यान्न का मानक नमूने से मिलान
- (2) खाद्यान्न की सफाई का स्तर
- (3) खाद्यान्न के रखने का स्थान एवं चूहे कीड़े मकोड़े आदि से बचाव हेतु किए गए उपाय
- (4) खाद्यान्न की प्रतिदिन उपयोग होने वाली मात्रा
- (5) खाद्यान्न माह में कितने बार गोदाम से उठाया जाता है
- (6) एक माह में लगभग औसतन कितना खाद्यान्न उपयोग किया जाता है।

3. कन्वर्जन कास्ट की उपलब्धता

- (1) ग्राम प्रधान के पास उपलब्ध कन्वर्जन कास्ट की धनराशि
- (2) प्रतिदिन व्यय होने वाली औसतन धनराशि
- (3) कन्वर्जन कास्ट प्राप्त होने की आवृत्ति
(पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक)

4. अन्य भोजन सामग्री की व्यवस्था

- (1) भोजन निर्माण हेतु तेल/चिकनाई किस प्रकार की है
(खुला तेल/एगमार्ग का तेल/ब्रान्डेड एगमार्क का तेल/बनस्पति)
- (2) नमक (डली/पिसा सील बन्द पैकेट/आयोडीनयुक्त नमक)
- (3) दाल का स्तर
- (4) सब्जी (ताजी/एक दिन पुरानी/अधिक पुरानी)
- (5) मसाले (स्तरीय/साधारण/निम्न स्तर)
- (6) दूध (ताजा खुला हुआ/पैकेट/पाउडर तथा प्रयोग हेतु उपयुक्त/अनपयुक्त)
- (7) चीनी (साफ मोटे दाने की/साफ बारीक/खाण्डसारी)

5. ईधन की व्यवस्था

- (1) पारम्परिक चूल्हा
- (2) गैस सिलेण्डर (सिंगल बर्नर/डबल बर्नर)
- (3) कन्डा, कोयला अथवा अन्य ईधन
- (4) उपलब्ध ईधन की मात्रा

- (5) प्रतिदिन कितना ईंधन प्रयुक्त होता है

6. स्वच्छता से सम्बन्धित बिन्दु

- (1) भोजन पकाने के बर्तनों की सफाई की स्थिति
- (2) खाने के बर्तनों की सफाई की स्थिति
- (3) बर्तन धोने हेतु क्या प्रयुक्त किया जाता है (राख / मिट्टी / डिटर्जेंट)
- (4) जिस स्थान पर बर्तन धोए जा रहे हैं उस स्थान की सफाई की स्थिति
- (5) धोने हेतु पानी की उपलब्धता (नल / हैण्डपम्प / कआं / अन्य)
- (6) क्या बच्चे खाना ग्रहण करने से पूर्व एवं खाना खाने के बाद हाथ मुँह धोते हैं तथा कुल्ला करते हैं।
- (7) क्या सफाई हेतु साबुन का प्रयोग किया जा रहा है
- (8) जिस स्थल पर हाथ धोए जाते हैं वहां पर सफाई की स्थिति

7. सुरक्षा के उपाय

- (1) विद्यालय में कभी किसी प्रकार की दुर्घटना तो नहीं हुयी है यदि हां तो दुर्घटना किसी प्रकार की थी तथा इस सम्बन्ध में क्या उपचारत्मक उपाय किए गए एवं पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए। इस सम्बन्ध में किन किन अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का दौरा किया गया तथा उनके द्वारा क्या निर्देश दिए गए
- (2) क्या बच्चों को भोजन दिए जाने से पूर्व उसे किसी व्यक्ति द्वारा चखा जाता है
- (3) भोजन कौन चखता है (अध्यापक / अभिभावक / रसोईयां या ग्राम प्रधान)
- (4) परोसते समय भोजन की स्थिति (गरम, कम गरम ठण्डा)
- (5) भोजन निर्माण स्थल पर कौन कौन व्यक्ति जा सकते हैं (केवल रसोईया, ग्राम प्रधान एवं अध्यापक / बच्चे / बाहरी व्यक्ति)
- (6) बचे हुए भोजन का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है (फेंका जाता है / बच्चों को घर ले जाने के लिए दिया जाता है / आंगनवाड़ी के बच्चों को दिया जाता है / अगले दिन प्रयोग होता है)
- (7) खाना खाते वक्त भोजन स्थल के निकट कुत्ते, गाय, बैल, भैंस अथवा अन्य जानवर तो नहीं आते हैं
- (8) विद्यालय तथा उसके आस पास सफाई का स्तर कैसा है? (गंदगी है अथवा नहीं खुली नाली है अथवा नहीं कोई गंदा पोखर, कुआं आदि है अथवा नहीं)
- (9) विद्यालय के परिसर अथवा उसके आस पास गोबर-कंडे के ढेर हैं अथवा नहीं।
- (10) आस पास कोई मिल अथवा सड़क आदि से गंदा धुआं, धूल आदि विद्यालय परिसर में प्रवेश पा रहा है अथवा नहीं।

8. स्वयं सेवी संस्थाओं के सम्बन्ध में आख्या (जहां स्वयंसेवी संस्थाएं कार्यरत हैं)-

- (1) स्वयं सेवी सेवी संस्थाओं द्वारा दिए जा रहे भोजन किस प्रकार के बर्तनों में दिया जा रहा है (स्टील, एल्यूमीनियम भगौना / अन्य)
- (2) भोजन पकाने एवं उसके ग्रहण करने के मध्य कितना समय लगता है
- (3) बच्चों को भोजन देने से पूर्व उसे चखा जाता है अथवा नहीं तथा उसे कौन चखता है।
- (4) भोजन लाने वाले व्यक्ति को अध्यापक पहचानते हैं अथवा नहीं।
- (5) प्राप्त भोजन की मात्रा (पर्याप्त अथवा कम)
- (6) भोजन की गुणवत्ता की स्थिति
- (7) भोजन मीनू के अनुसार दिया जा रहा है अथवा नहीं।

9. अन्य बिन्दु एवं सुझाव-